न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—349/2018/नजरसानी प्रा0पत्र (2018/00349)

1. श्रीमती गौरादेवी पत्नि रामअवतार, जाति मीणा, निवासी ग्राम सेवा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. हनुमान पुत्र कल्याण,
2. रतना पुत्र कल्याण,
   जाति माली, निवासी मंगीथला, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

नजरसानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राज0काश्त0अधि0 1955 विरूद्ध आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर दिनांक 23.10.2018 अंतर्गत अपील संख्या 489/2016.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील प्रार्थी ।
2. श्री धर्मेन्द्र टांक, वकील अप्रार्थी संख्या 2.
3. अप्रार्थी संख्या 1 अनुंपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार अप्रार्थी संख्या 3 .

निर्णय

दिनांकः— 18.11.2020

1. यह नजरसानी प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 489/2016 बउनवान हनुमान बनाम श्रीमती गोरादेवी में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है ।
2. संक्षेप में नजरसानी प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादिया/प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—क राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1810, 1811 वाके ग्राम सेवा, तह0 मौजमाबाद में स्थित है तथा खसरा नंबर 70, 543/70 एवं 73 के खातेदार अप्रार्थीगण है । प्रार्थीया की खातेदारी आराजी में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है इसलिये अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 70 जो तकासमा के बाद खसरा नंबर 70, 543/70 एवं 73 बने है में से रास्ता दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया । अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने प्रकरण स्थानातंतरण से प्राप्त होने के उपरांत निर्णय दिनांक 17.11.2016 द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 12 फीट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी में से मुआवजा राशि निर्धारित करते हुए रास्ता प्रदान किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 23.10.2018 को स्वीकार कर अधी0न्याया0 को

प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश पारित किये । न्यायालय हाजा के इस निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह नजरसानी प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील प्रार्थी ने नजरसानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए दौराने बहस कथन किया कि न्यायालय हाजा के समक्ष दोनों पक्षकारों की बहस दिनांक 18.9.2018 को सुनी गई तथा निर्णय हेतु सुरक्षित रखते हए दिनांक 28.9.2018 नियत रखी गई उसके पश्चात् किसी प्रकार की तारीख पेशी की सूचना प्रार्थी के अभिभाषक को नहीं दी गई बल्कि यह बताया गया कि अभी निर्णय नहीं सुनाया गया है बाद में पता कर लेना, जिस पर प्रार्थी अभिभाषक समय–समय पर जानकारी लेते रहे लेकिन निर्णय संबंधी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई तत्पश्चात् दिनांक 23.10.2018 को निर्णय पारित होने पर पत्रावली की फर्द अहकाम देखी जो टाईपशुदा थी और उसमें यह पाया कि दिनांक 28.9.2018 के बाद सीधे दिनांक 23.10.2018 को नियत किया जाना अंकित है तथा दिनांक 23.10.2018 को यह भी अंकित है कि पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई । अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित । अपील में बहस सुने एक माह से अधिक हो चुके है । अभिभाषक उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर अपील में पुनः बहस सुनी गई तत्पश्चात् निर्णय पारित करते हुए पत्रावली फैसल शुमार होना अंकित किया है जबकि प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता को दिनांक 28.9.2018 के बाद पत्रावली में अंकित की गई फर्द अहकाम की कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही प्रार्थी को जानकारी थी । बहस में आगे कथन किया कि प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 23.10.2018 को न्यायालय हाजा से पुनः बहस सुने जाने बाबत् कोई निवेदन नहीं किया गया था । इसलिये दिनांक 23.10.2018 की आदेशिका में पुनः बहस का उल्लेख किया जाना अपेरेंट ऑफ फेस ऑफ द रिकार्ड है जो नजरसानी के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5. बहस में आगे कथन किया कि न्यायालय हाजा के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.10.2018 के आधार पर पैरा संख्या 9 की पांचवी पंक्ति में यह अंकित किया है कि उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन पर उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा मान0 राजस्व मण्डल, अजमेर के जारी पत्रांक 1836 दिनांक 7.12.2016 के द्वारा प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें नजरी नक्शे के अनुसार वैकल्पिक रास्तो का चिन्हीकरण कर इन रास्तों की क्रमवार दूरी भी दर्शायी है । इससे भी यह जाहिर होता है कि खसरा नंबर 1810 एवं 1811 में आने–जाने हेतु वैकल्पिक रास्ते विद्यमान थे । इस संबंध में विवेचन किये बिना ही आक्षेपित निर्णय पारित किया है जिसे विधिसंगत नही माना जा सकता है । न्यायालय हाजा ने निर्णय पारित करते समय यह नहीं देखा कि उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह दिनांक 17.11.2016 को पारित किया गया है तथा मान0 मण्डल द्वारा अप्रार्थीगण की शिकायत पर जो रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा भेजी गई वह रिपोर्ट मान0 राजस्व मण्डल के पत्रांक 1836 दिनांक 7.12.2016 की पालना में भेजी गई थी तो फिर उक्त रिपोर्ट का उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय दिनांक 17.11.2016 में उल्लेख किस प्रकार हो सकता था । बहस में आगे कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28.9.2018 को बहस सुनी थी तथा उक्त रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस की गई थी तब प्रार्थी के अधिवक्ता ने आपत्ति उठाई थी कि उक्त रिपोर्ट अप्रार्थीगण की शिकायती पत्र पर बिना सूचना, बिना नोटिस प्रशासनिक रूप से उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रेषित की

गई है जिसका विधिक कार्यवाही मे उपयोग व अवलोकन नहीं किया जा सकता था जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28.9.2018 को वरवक्त सुनवाई ही उक्त रिपोर्ट का अवलोकन करने से इंकार कर दिया गया था इसके बावजूद न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2018 के पैरा संख्या 9 में अंकन किया कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर खसरा नंबर 1811 व 1811 में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ते विद्यमान है उसके पश्चात् अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया है । अधी0न्याया0 के पास उक्त फाईण्डिग के पश्चात् निर्णय करने को कोई शेष विकल्प नहीं बचता है और वह न्यायालय हाजा की फाइण्डिग से उपर नहीं जा सकता है इसलिये उक्त पैरा के अंकन के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय अपरेंटऑन फेस ऑफ दा रिकार्ड होने से नजरसानी के माध्यम से निरस्तनीय है । मान0 राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 24.8.2016 की पालना में स्वयं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ एवं उनकी टीम द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है तथा उक्त मौका निरीक्षण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जिसमें यह माना है कि आवेदक की भूमि पर पहुंचने हेतु कोई रास्ता नहीं है तथा अप्रार्थीगण की आराजी में से ही रास्ता है जो लघुत्तम भी है तथा इससे पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट में अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी में से ही रास्ता माना गया है अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है इसके बावजूद न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय में केवल उक्त आधार पर ही पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाकर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने में भारी भूल की है । अतः श्रीमान् से निवेदन है कि नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2018 निरस्त किया जावे तथा अप्रार्थीगण की अपील को खारिज करते हुए उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय दिनांक 17.11.2016 को बहाल रखा जावे । विद्वान वकील प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में ए0आई0आर0 सुप्रीम कोर्ट 2005 पेज 592 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

6. जवाब में विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् है तथा निर्णय में ऐसा कोई एरर अपरेंट ऑफ दॉ फेस जाहिर नहीं है । यह भी कथन किया कि प्रकरण को वापिस नये सिरे से नहीं सुना जा सकता है । यदि प्रार्थी को लगता है कि निर्णय में त्रुटि है तो भी त्रुटि के आधार पर पुनरावलोकन विधि अनुसार संधारण योग्य नहीं है । इस संदर्भ में वकील अप्रार्थी ने 2005 (1) आर0आर0टी0 सुप्रीमकोर्ट पेज 545, 2005 (2) आर0एल0डब्ल्यू0 आर0जे0 (हाई कोर्ट) पेज 187 एवं आर0बी0जे0 2005 पेज 448 पेश किये ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । विद्वान वकील प्रार्थी का कथन है कि निर्णय के पैरा संख्या 9 में तहसीलदार, मौजमाबाद से दिनांक 23.11.2015 को रिपोर्ट मांगी गई थी जिस पर मान0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा अप्रार्थीगकण की शिकायत पर जो रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा भेजी गई वह रिपोर्ट मान0राजस्व मण्डल के पत्र क्रमांक 1836 दिनांक 7.12.2016 की पालना में भेजी गई है तो फिर उक्त रिपोर्ट का विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के न्यायालय दिनांक 17.11.2016 में उल्लेख किस प्रकार हो सकता था परन्तु हाजा न्यायालय के निर्णय के पैरा संख्या 9 में मात्र उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा भिजवाई गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के बारे में तथ्यों को उल्लेखित किया गया है तथा रिपोर्ट के आधार पर हाजा न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है । अधी0न्याया0 द्वारा उपरोक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर निर्णय नहीं किया गया है । इस प्रकार निर्णय दिनांक 23.10.2018 में कोई भी एरर अपेरेंट आन दा फेस ऑफ रिकार्ड परिलक्षित नहीं होता है।

जहां तक वकील प्रार्थी का कथन है कि आदेशिका दिनांक 28.9.2018 में पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 23.10.2018 दी गई थी तत्पश्चात् दिनांक 23.10.2018 को पुनः बहस सुनी जाकर आदेश पारित किया गया इस संबंध में वकील प्रार्थी का कथन है कि हमारे द्वारा दिनांक 23.10. 2018 को बहस नहीं की गई परन्तु इस संबंध में स्वंय प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्वंय का शपथपत्र पेश नहीं किया गया है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय की आदेशिका में उल्लेखित तथ्य सही है एवं यही विधि की उपधारणा है । इस कारण यह भी ऐरर अपेरेंट आन दॉ फेस ऑफ रिकार्ड की परिधि में नहीं आता है । हम वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक नजीरों में प्रतिपादित सिद्धांत से सहमत है तथा प्रकरण पर चस्पा होते है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर पूर्व पारित निर्णय विधिसंगत होने से एवं निर्णय में कोई एरर अपेरेंट आन दा फेस ऑफ रिकार्ड नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राज0काश्त0अधि0 1955 खारिज किया जाता है । प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल अपील पत्रावली के साथ संलग्न हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर